SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

बिहार के समावेशी विकास में छोटे एवं सीमान्त किसानों की भूमिका

कौसर अली, पी–एचडी, अर्थशास्त्र विभाग
कमला राय महाविद्यालय, गोपालगंज, बिहार, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
कौसर अली, पी–एचडी
E-mail : kausarali777@rediffmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 10/09/2025
Revised on : 10/11/2025
Accepted on : 19/11/2025
Overall Similarity : 00% on 11/11/2025

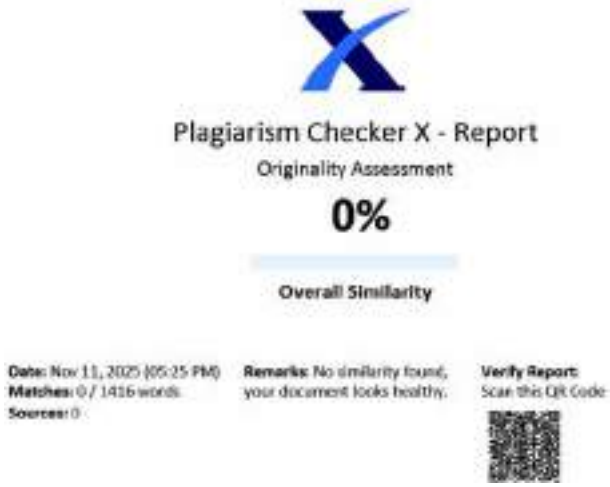

शोध सार

बिहार राज्य में छोटे एवं सीमान्त किसानों की आबादी लगभग 97 प्रतिशत है जबकि कृषि जोत में इनकी हिस्सेदारी केवल 76 प्रतिशत है। इस शोध पत्र में "बिहार के समावेशी विकास में छोटे एवं सीमान्त किसानों की भूमिका" का अध्ययन किया गया है। इस पत्र के माध्यम से कृषि में सकल राज्य मूल्यवर्धन (जी.एस.वी.ए.) का हिस्सा, फसल पद्धति, कृषि में किसानों की भागीदारी, सिंचाई सुविधा एवं ऋण से जुड़ी समस्याओं को शामिल किया गया है। इस शोध पत्र में तकनीकी एवं संस्थागत नवचारों पर भी बल दिया गया है, जो वंचित वर्ग के किसानों की आय में क्रान्ति लाये तथा मुख्यधारा से जुड़ने में मदद कर सके।

मुख्य शब्द

बिहार, समावेशी विकास, सीमान्त किसान.

परिचय

बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। यहाँ की अधिकांश आबादी गाँवों में निवास करती है। इनकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि एवं पशुपालन है। एक हेक्टेयर से कम कृषि जोत रखने वाले किसानों को सीमान्त किसान और एक से दो हेक्टेयर कृषि जोत रखने वाले किसानों को छोटा किसान कहा जाता है। छोटे एवं सीमान्त किसानों की संख्या राज्य में अधिक है जिनके पास कृषि भूखण्डो का आकार बहुत छोटा है। वे निर्वाह खेती एवं खाद्यान्न फसल उगते हैं। इनकी आय अत्यंत कम होती है इसलिए नवीन तकनीक तक अपर्याप्त पहुँच है। छोटे जोत के कारण इनमें प्रच्छन्न बेरोजगारी पायी जाती है और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा का अभाव है। मूल्य जोखिम को वहन करने में असमर्थ होते हैं इसलिए इन्हें बैंकों से ऋण नहीं मिलता है। परिणामस्वरूप इनकी

आजीविका हमेशा खतरे में रहती है जो उन्हें गरीबी के दुष्चक्र की ओर ले जाती है।

शोध का उद्देश्य

1. बिहार राज्य के छोटे एवं सीमान्त किसानों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. राज्य के छोटे एवं सीमान्त किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु प्रयास एवं सुझाव देना।

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य में लगभग 97 प्रतिशत किसान छोटे और सीमान्त हैं, जो अपनी खेती पर निर्भर हैं। इनके जोत का आकार दो हेक्टेयर से भी कम है। प्रति व्यक्ति भूमि की कमी, खेतों का छोटा एवं बिखरा प्रारूप, सिंचाई का अभाव, परम्परागत कृषि और उत्तम बीज की कमी के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन एवं उत्पादकता कम है। प्राकृतिक आपदाएँ जैसे बाढ़ एवं सूखा भी उनकी फसलों को नुकसान पहुँचाती है, जिससे वे आधुनिक कृषि पद्धति को अपनाने में असमर्थ हैं। बाजार तक पहुँच की कमी एवं बिचौलियों के शोषण के कारण किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इन्ही कारणों से राज्य के किसान गरीबी एवं ऋणग्रस्तता के जाल में फंसे रहते हैं और वे अपने खेतों को छोड़कर आजीविका हेतु दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं।

तालिका 1: बिहार राज्य में प्रयुक्त जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल (वर्ष 2015–16 में)

किसानो के प्रकार	प्रयुक्त जोतों की संख्या (हजार)	प्रतिशत	प्रयुक्त जोतों का क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर में)	प्रतिशत
सीमान्त (1हेक्टेयर से कम)	14970	91.22	3727	57.75
लघु (1 से 2 हेक्टेयर)	943	5.74	1178	18.25
अर्द्ध मध्यम (2 से 4 हेक्टेयर)	414	2.52	1075	16.66
मध्यम (4 से 10 हे०)	81	0.50	430	6.66
वृहत(10 हे० से अधिक)	03	0.02	44	0.68
	16411	100.00	6,454	100.00

(स्त्रोतः आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार सरकार, 2024–25)

भूमि उत्पादन का प्रमुख साधन है। तालिका (1) में दर्शाया गया है कि बिहार राज्य में 16411 हजार जोतें वर्ष 2015–16 में थीं। वहीं इस अवधि में क्षेत्रफल के अनुसार कुल 6,454 हजार हेक्टेयर भूमि पर खेती होती थी। कुल 16411 हजार जोतों में से 14970 हजार सीमान्त अर्थात् 1 हेक्टेयर से कम तथा 943 हजार लघु अर्थात् 1 से 2 हेक्टेयर आकार वाली जोतें थी, जो कुल जोतों का 97 प्रतिशत थी। वहीं क्षेत्रफल के अनुसार 6,454 हजार हेक्टेयर जोतों में से 3727 हजार हेक्टेयर का वितरण सीमान्त एवं 1178 हजार हेक्टेयर लघु जोतों के अन्तर्गत था, जो कुल जोतों के क्षेत्रफल का 76 प्रतिशत था। इस प्रकार 3 प्रतिशत किसानों के पास 24 प्रतिशत जोतें उपलब्ध थीं। विगत वर्षों के दौरान बड़ी जोतें वस्तुतः उप विभाजित होकर सीमान्त एवं लघु जोतों में बदलती रही।

तालिका 2: बिहार राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन (जी.एस.वी.ए.) में कृषि क्षेत्र का हिस्सा (वर्ष 2019–20 से 2023–24 तक)

क्षेत्र	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23 अन्तिम	2023–24 त्वरित
फसल	9.7	11.2	10.7	10.4	9.9
पशुधन	6.0	7.1	6.9	6.4	6.3
मात्स्यिकीय एवं जलकृषि	1.6	1.8	1.9	1.9	1.8
वानिकी एवं कष्ट उत्पादन	1.6	1.7	1.7	1.5	1.5
कृषि, वानिकी एवं मात्स्यिकी	18.8	21.8	21.1	20.2	19.5

(स्त्रोतः आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार सरकार, 2024–25)

तालिका (2) दर्शाता है कि प्राथमिक क्षेत्र सकल राज्य मूल्यवर्धन (जी.एस.वी.ए.) में प्रत्येक वर्ष लगभग पाँचवे हिस्से का योगदान करता है। वर्ष 2023–24 में, प्राथमिक क्षेत्र का 19.5 प्रतिशत योगदान था, जिसमें फसल 9.9, पशुधन 6.3, वानिकी एवं कष्ट उत्पादन 1.5 तथा मात्स्यिकी एवं जलकृषि 1.8 प्रतिशत योगदान रहा।

सरकार छोटे एवं सीमान्त किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु प्रधानमंत्री सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड एवं डीजल अनुदान योजनाओं के माध्यम से वित्तय सहायता प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कृषि आधारभूत संरचना मजबूत करने, कृषि में विविधीकरण एवं प्रौद्योगिकी उपयोग को प्रोत्साहित करने, गैर–कृषि आय स्त्रोत बढ़ाने और जीवन स्तर में सुधार पर भी ध्यान केन्द्रित कर रही है। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु सरकार निम्नलिखित प्रयास कर रही हैः

1. किसानों को अधिक उपज देने वाले शंकर बीज, सिंचाई एवं जौविक खाद्य के प्रयोग को प्रोत्साहित कर रही है।
2. कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है।
3. किसानों को परम्परागत कृषि तकनीक के साथ–साथ आधुनिक कृषि यंत्रों को सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
4. एग्रीटैक प्लेटफार्मों के माध्यम से ऋण, कृषि यंत्रों तथा बाजार तक पहुँच में सुधार किया जा रहा है।
5. कृषि में विविधीकरण को बढ़ावा देने हेतु मत्स्य पालन, मधु मक्खी पालन, पशुपालन, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण जैसी सम्बंध गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
6. बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु छोटे एवं सीमान्त किसानों का प्रयास निम्नलिखित हैः

1. छोटे एवं सीमान्त किसान कृषि के साथ–साथ मत्स्य पालन, डेयरी, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण से आय के स्त्रोत बढ़ाएं इससे जोखिम कम होगा तथा आय भी बढ़ेगी।
2. किसान मौसम के अनुरूप खेती, फसल अवशेष प्रबंधन और ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक अपनाएं।
3. किसान वर्षा जल संचयन, कुआँ–तालाबों के पुनर्भरण पर ध्यान दें, उपलब्ध जल का सदुपयोग करें तथा जल साक्षरता को बढ़ाएं।
4. किसान जल दुर्लभ क्षेत्रों में दालों और तिलहन फसलों पर ध्यान केन्द्रित करें क्योंकि इसके उत्पादन में अल्प जल की आवश्यकता होती है साथ–साथ इससे अधिक मूल्य अर्जन भी हो जाता है।
5. किसान स्थानीय कृषि विभाग से सम्पर्क द्वारा बीज, उर्वरक और अन्य कृषि इनपुट पर सब्सिडी का लाभ

उठाएं।

6. किसान फसल बीमा योजनाओं के बारे में जानकरी प्राप्त करें और अपनी फसलों को अप्रत्याशित मौसम या अन्य जोखिम से बचाव हेतु बीमा कराएं।
7. किसान प्रशिक्षण एवं जागरूकता हेतु आयोजित चौपाल में भाग लें, जानकारी प्राप्त करें और ग्रामीण स्तर पर जागरूकता बढ़ाएं।
8. किसान ऋण हेतु बैंकों से सम्पर्क करें।

निष्कर्ष

बिहार राज्य के छोटे एवं सीमान्त किसानों की आर्थिक स्थिति जटिल और चुनौतीपूर्ण है। कृषि में कम उत्पादकता, बाजार तक पहुँच कमी, ऋणग्रस्तता और प्राकृतिक आपदाएं उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है। यद्यपि, सरकार कृषि क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम चला रही है। सिंचाई सुविधाओं का विकास, आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रचार, बाजार तक पहुँच में सुधार, कृषि ऋण की उपलब्धता, फसल बीमा योजना, कृषि विविधीकरण और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों का विकास किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु महत्वपूर्ण है। यदि इन उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो राज्य के किसानों की स्थिति में सुधार सम्भव है। वे एक समृद्ध एवं खुशहाल जीवन जी सकते हैं, साथ ही साथ राज्य के आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

संदर्भ सूची

1. गुप्ता, शिवभूषण (2021) *कृषि अर्थशास्त्र,* एस.बी.पी.डी. पब्लिकेशन्स, आगरा, पृ. 15।
2. पुरी, वी.के. एवं मिश्रा, एस.के. (2021) *भारतीय अर्थव्यवस्था,* हिमालया पब्लिशिंग हाउस प्रा.लि., मुम्बई, पृ. 191।
3. दत्त, रूद्र एवं सुन्द्रम, के.पी.एम (2008) *भारतीय अर्थव्यवस्था,* एस.चन्द एण्ड कम्पनी लि., नई दिल्ली, पृ. 419।
4. आर्थिक सर्वेक्षण (2024–25) बिहार सरकार, पटना, पृ. 73–74।
5. भारतीय अर्थव्यवस्था (2021–22) प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक, पृ. 81।
6. लाल, एस.एन. एवं लाल, एस. के. (2011) *भारतीय अर्थव्यवस्था : सर्वेक्षण तथा विश्लेषण,* शिवम् पब्लिशर्स, इलाहाबाद, पृ. 41।
7. यादव, अवधेश कुमार एवं चौहान, आर.बी.एस. (2022) पशुधन किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का विश्लेष्णात्मक अध्ययन, *इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रेंड,* (4)1 पृ. 41–45।

****